मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2525

04.08.2025 को उत्तर के लिए

खनन क्षेत्रों के निकट वायु प्रदूषण

2525. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनन गतिविधियों के स्रोत के निकट स्थित शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी कोई कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों (मानकों को पूरा न करने वाले शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। वर्ष 2019-20 से अब तक की अवधि के दौरान वायु प्रदूषण उपशमन उपायों के क्रियान्वयन के लिए 130 शहरों को महत्वपूर्ण अंतराल वित्तपोषण के रूप में 13,036.52 करोड़ रूपये का कार्य-निष्पादन आधारित अनुदान प्रदान किया गया है।

एनसीएपी के अंतर्गत धनबाद, जमशेदपुर, रांची, कोरबा, रायपुर, अंगुल, तालचेर, राउरकेला, चंद्रपुर आदि कई शहर महत्वपूर्ण खनन गतिविधियों से जुड़े हैं। इन शहरों ने खनन गतिविधियों से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ तैयार की हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए खनन गतिविधियों के दौरान कार्यान्वित प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपायों की निगरानी करते हैं।

इसके अलावा, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सहमति तंत्र के माध्यम से खनन कार्यों के दौरान कार्यान्वित किए गए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपायों की निगरानी करती हैं।

इसके अतिरिक्त, अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों (खनन कार्यों से जुड़े उद्योगों सहित) की सभी 17 श्रेणियों को निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन तथा प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत बहिःस्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने कोयला खनन, स्पंज लौह संयंत्र और इस्पात संयंत्र शुरू करने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण से संबंधित अनापत्ति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत कोयला खदानों और लौह अयस्क खनन उद्योगों के लिए वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, कोयला और कच्चे माल के प्रबंधन से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कोयला प्रबंधन और क्रशिंग संयंत्र के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन मानकों का क्रियान्वयन खनन उद्योगों द्वारा और उनका प्रवर्तन संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किया जाता है।

ओडिशा में खनन गतिविधियों सहित तीन औद्योगिक प्रदूषित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। इस क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित शहरों और कस्बों में वायु गुणवत्ता उपायों को भी शामिल किया गया है।

महाराष्ट्र में चंद्रपुर शहर के निकट कोयला खदानों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सड़कों के किनारे, कोयला प्रबंधन केंद्रों पर तथा खनन क्षेत्रों में पानी के छिड़काव यंत्र लगाए गए हैं तथा इन्हें नियमित रूप से चलाया जाता है।

झारखंड में धनबाद नगर निगम ने पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए खनन इकाइयों पर विनियामक निगरानी बढ़ा दी है। इस संबंध में, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शिकाएँ जारी की गई हैं और वायु प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन हेतु जागरूकता और जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु खनन उद्योगों के साथ परामर्शी बैठकें आयोजित की गई हैं। सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से जल छिड़काव और यांत्रिक सफाई संबंधी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। इसके अलावा, धनबाद शहर में सड़कों को पक्का करने तथा ब्लैक टॉपिंग करने, खुले क्षेत्रों को हरा-भरा करने और ऊर्ध्वाधर उद्यान विकसित करने के कार्य किए गए हैं।

*****